स्पीड पोस्ट/फैक्स

पत्र संख्या–ए/के0स0यो0–(61)–15/2016–.........................../

बिहार सरकार

गृह विभाग

(विशेष शाखा)

प्रेषक

जितेन्द्र कुमार
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में

जिला पदाधिकारी
गया

पटना, दिनांक–...........................2016

विषय :– डुमरिया (गया) थाना कांड सं0–39/10 दिनांक–07.09.2010 में नक्सली हिंसा में मारे गए मृतक संजय कुमार उर्फ संजय प्रसाद, पिता–रामरूप महतो, सा0–सिंहौता, पो0–केवला कला, थाना–डुमरिया, जिला–गया, बिहार के आश्रिता पत्नी मो0–लक्ष्मीनिया देवी उर्फ लक्ष्मी देवी को आतंकवाद/साम्प्रदायिक/नक्सली हिंसा के सिविलियन पीड़ितों को सहायता हेतु केन्द्रीय योजना मद से ₹ 3,00,000/– (तीन लाख रुपये) मात्र भुगतानार्थ जिला पदाधिकारी, गया के ज्ञापांक–1104/सा0 दिनांक–11.11.2016 के आलोक में आवंटन।

| वित्तीय वर्ष–2016–17 में जिला पदाधिकारी, गया को पूर्व में आबंटित राशि | वित्तीय वर्ष–2016–17 में जिला पदाधिकारी, गया को वर्त्तमान में आबंटित राशि | वित्तीय वर्ष–2016–17 में जिला पदाधिकारी, गया को कुल आबंटित राशि। |
|---|---|---|
| – | ₹ 3,00,000/–<br>(तीन लाख रुपये) मात्र | ₹ 3,00,000/–<br>(तीन लाख रुपये) मात्र |

महाशय,

उपरोक्त आबंटित राशि ₹ 3,00,000/–(तीन लाख रुपये) मात्र चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में **माँग संख्या–22, मुख्य शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष–200–अन्य कार्यक्रम, उप शीर्ष–0414–आतंकवाद, साम्प्रदायिक तथा नक्सली हिंसा के पीड़ितों को सहायता, विषय शीर्ष–33 02–मुआवजा (विपत्र कोड–एस2235602000414)** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

2. जिला पदाधिकारी, गया कृपया यह सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके द्वारा अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान मृतकों के आश्रित को समुचित पहचान कर निम्नांकित शर्तानुसार की जाए :–

(iv) इस योजना के तहत प्रभावित की मृत्यु अथवा स्थायी अशक्तता के प्रत्येक मामले में 3 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।

कृ0पृ0उ0

17 अति० टी० प्रभारी गृह वि०

(v) 3 लाख रुपये की धनराशि को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा खाते में [परिवार के सदस्य (सदस्यों) के नाम में संयुक्त अथवा एकल रुप से] डाला जाएगा। इसकी परिबंधन (लॉक–इन) अवधि न्यूनतम 3 वर्ष तक अथवा यदि परिवार में केवल अव्यस्क बच्चे हों तो सबसे बड़े बच्चे के वयस्क हो जाने तक, जो भी बाद में हो, होगी।

(vi) राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा खाते की सूचना विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

3. उपरोक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, गया होंगे।

4. उपरोक्त राशि की निकासी जिला कोषागार, गया से की जायगी।

5. यह आवंटनादेश भारत सरकार के पत्र संख्या–11044 / 11 / 2011–VTV, दिनांक–29.06.2012 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी, गया की होगी।

6. इस राशि का उपयोग जिला पदाधिकारी, गया द्वारा मात्र उक्त पीड़ित व्यक्ति / मृतक के आश्रित को अनुग्रह–अनुदान / मुआवजा के रुप में भुगतान में उपयोग किया जाएगा, किसी भी अन्य योजना के कार्य पर विचलन नहीं किया जायेगा।

7. जिला पदाधिकारी, गया का यह दायित्व होगा की भुगतान कि गई राशि की व्यय–विवरणी / उपयोगिता प्रमाण पत्र, गृह विभाग, (विशेष शाखा), बिहार, पटना को ससमय यानि वित्तीय वर्ष 2016–17 के समाप्ति के पूर्व निश्चित रुप से उपलब्ध करा देंगे।

8. यदि किसी कारणवश जिला पदाधिकारी, गया द्वारा उक्त राशि का भुगतान न हो पाये तो उसका प्रत्यार्पण वित्तीय वर्ष 2016–17 की समाप्ति के पूर्व गृह विभाग, (विशेष शाखा), बिहार, पटना को निश्चित रुप से कर दिया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / –

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–............... / पटना, दिनांक–...............2016

प्रतिलिपिः–भुगतान एवं लेखा अधिकारी, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–............... / पटना, दिनांक–...............2016

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा एवं हक0) / महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के विशेष सचिव

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक–............../ पटना, दिनांक–................2016

स्पीड पोस्ट
फैक्स

प्रतिलिपिः–प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया/कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–............../ पटना, दिनांक–................2016

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–............../ पटना, दिनांक–................2016

प्रतिलिपिः–उप सचिव, प्रशाखा 'ए' गृह विभाग, (विशेष शाखा), बिहार, पटना को लेखा संधारण हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–11568/ पटना, दिनांक–19-12-2016

प्रतिलिपिः–आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Jitendra
16.12.16
सरकार के विशेष सचिव